

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वि०/याँ०)
लो०नि०वि०,लखनऊ

पत्रांक 2769(II)ईएम/16ई०डब्लू०-सी०ई०(ई०/एम०)शिड्यूल/16-17 दिनांक 20/07/2016

कार्यालय- ज्ञाप

राजकीय भवनों में विद्युत कार्यों की विशिष्टियों एवं दर पुस्तिका का पुनरीक्षण इस कार्यालय के पत्रांक 117ईएम/16सी०बी०डब्लू०-सी०ई०(ई०एम०)शिड्यूलपुन०(वि०)16,दिनांक 07.01.2016 द्वारा किया गया था। वर्तमान में हाईमास्ट पोल का उपयोग बढ़ने के कारण उसकी विशिष्टियों एवं दरो का समावेश विभागीय शिड्यूल ऑफ रेट में किया जाना उचित पाया गया है, तदनुसार दर पुस्तिका के अध्याय-6 जो ओवर हेड मेन्स से सम्बन्धित है, में विभिन्न साईज के हाई मास्ट पोल की विशिष्टियों एवं उनकी दरों का भी समावेश किया गया है और यह पी०एस० मद सं० 651, 652, 653, 654 एवं 655 के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह समावेश शिड्यूल लो०नि०वि० के सभी अधीक्षण अभियन्ता (वि०/याँ०)/अधिशाली अभियन्ता (वि०/याँ०) के कार्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी। इस शिड्यूल की दरे केवल विभागीय आगणन के लिए है। अतः उपरोक्तानुसार विभागीय विशिष्टियों एवं दर पुस्तिका के अध्याय- 6 में उक्त संशोधन को दिनांक 20.07.2016 से प्रभावी माना जायेगा।

ह
(वाई०के०गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (वि०/याँ०)
लो०नि०वि०,लखनऊ

पत्रांक:- 2769(II)ईएम/16ई०डब्लू०-सी०ई०(ई०/एम०)शिड्यूल/16-17 दिनांक 20/07/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, लो०नि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ।
3. उपसचिव, लो०नि०अनु०-08 उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०,लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु०-1/मु०-2) लो०नि०वि०,लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन) लो०नि०वि०,लखनऊ।
7. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम/सेतु निगम, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, 17वाँ/30वाँ/44वाँ/47वाँ (वि०/याँ०), लो०नि०वि०, लखनऊ/वाराणसी/मुरादाबाद।
10. अधिशाली अभियन्ता (क्रय) /तकनीकी कोष-15 लो०नि०वि०,लखनऊ।
11. गार्ड फाईल हेतु।

मुख्य अभियन्ता (वि०/याँ०)
लो०नि०वि०,लखनऊ
20/7/16